

भाग - III

संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरे जाने के लिये

14	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं।
15	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत है। यदि नहीं तो उसका कारण दें।	जी हां।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।	प्रकरण FP/MP/OTHER/33428/2018 में वनमंडलाधिकारी दक्षिण पन्ना द्वारा भाग-2 में दी अनुशंसा के आधार पर 33 के.व्ही. नवीन विद्युत लाईन सलेहा से कल्दा निर्माण में प्रभावित वनभूमि 21.00 हे. वन क्षेत्र पर विद्युत लाईन डालने हेतु अनुशंसा की जाती है।

(आर०पी०राय)
मुख्य वन संरक्षक
वन वृत्त छतरपुर

तिथि : 06-12-19
स्थान : छतरपुर